29.10.2021	प्रार्थी नैनसिंह पुत्र सग्रांमसिंह जाति राजपूत निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प हरियाढाणा** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 2404 रकबा 7.0302 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2405 रकबा 2.3380 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 2407 रकबा 18.9468 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता संग्रामसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की थी। संग्रामसिंह का देहान्त हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम नैनसिंह के बजाय करणसिंह लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम नैनसिंह है तथा सरकारी दस्तावेज भी नैनसिंह पुत्र संग्रामसिंह के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में करणसिंह पुत्र संग्रामसिंह के स्थान पर नैनसिंह पुत्र संग्रामसिंह की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी नैनसिंह ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। तथा वादी के समर्थन में अपना गवाह रामसिंह पुत्र जालमसिंह के बयान कलमबद्ध कराये गये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी नैनसिंह का आधारकार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरियाढाणा द्वारा जारी की गयी टी.सी. नैनसिंह पुत्र संग्रामसिंह, जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 आदि को पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत हरियाढाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 29.10.2021 को पेश किया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में करणसिंह गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है। एवं मै कोई भी भूमि के सम्बंध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रहा हूं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम नैनसिंह के बजाय करणसिंह दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 2404 रकबा 7.0302 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2405 रकबा 2.3380 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 2407 रकबा 18.9468 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में करणसिंह पुत्र संग्रामसिह के स्थान पर नैनसिंह पुत्र संग्रामसिंह की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम हरियाढाणा में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा